

लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव  
201.....

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के दैनिक लेखा के  
रख-रखाव के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर

उम्मीदवार का नाम : .....

लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र : .....





## नोट :-

### 1.1 छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्यों का रख-रखाव फोल्डर :

**1.1.1 अनुलग्न 11** में संलग्न प्रोफार्मा में लेखा टीम द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा। इस रजिस्टर का रख-रखाव हार्ड कापी और/या एक्सल सीट, क्रमवार रखे गए प्रिन्ट आउट क्रमानुसार पृष्ठ में प्रेक्षित व्यय विभिन्न टीमों द्वारा किए गए व्यय के निरीक्षण/व्यय अनुवीक्षण रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। इस रजिस्टर का उद्देश्य अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट किए गए बड़े-बड़े व्ययों की मदों की पुनः जांच करना है।

**1.1.2** लेखा टीम को, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दलों, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, स्थैतिक निगरानी दलों, उड़न दस्तों तथा शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष से दैनिक आधार पर सूचना प्राप्त होगी। लेखा टीम, व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक के सम्पूर्ण दिशा-निर्देशों और निरीक्षण के अधीन कार्य करेगी।

**1.1.3** सहायक व्यय प्रेक्षक, प्रत्येक अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि व्यय अनुवीक्षण की विभिन्न टीमों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी व्ययों की इस रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है। कोई विसंगति या कमी पाई जाने पर इसे तुरन्त व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए।

### 1.2 साक्ष्यों का फोल्डर :

लेखा टीम द्वारा प्रत्येक छाया प्रेक्षण रजिस्टर के साथ साक्ष्यों के फोल्डर का भी रख-रखाव किया जाएगा। छाया प्रेक्षण रजिस्टर में किसी भी व्यय के खिलाफ एकत्रित सभी साक्ष्यों को इस फोल्डर में रखना होगा। सभी पृष्ठों में पृष्ठ संख्या डालनी होगी और सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इस फोल्डर में दृश्य और व्यय सीडी, पोस्टर, पैम्फलेट की प्रतियां इत्यादि, समाचार पत्रों के विज्ञापन और पेड न्यूज की कटिंग, बिलों और वाउचरों की प्रतियां एवं व्यय के संबंध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की प्रतियां, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियां, व्यय से संबंधित शिकायतों की प्रति और इन शिकायतों पर पूछताछ की रिपोर्ट, व्यय अनुवीक्षण से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी किए गए नोटिस और प्राप्त जवाब, अभ्यर्थी के व्यय के संबंध में दर्ज की गई एक एफआईआर इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।

**1.3** यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा निषिद्ध मदों पर व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया है, तो विधि के संगत प्रावधानों के अधीन अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मतदाता को प्रभावित करने के लिए धन या अन्य कोई ऐसी वस्तु वितरित की है तो उसी दिन उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की घूसखोरी से संबंधित प्रावधानों के अधीन सक्षम न्यायालय में/पुलिस के सामने शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त साक्ष्यों के साथ इस व्यय की सभी प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट व्यय प्रेक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर आयोग को दे दी जानी चाहिए।

**1.4** अभ्यर्थी द्वारा रख-रखाव किए गए निर्वाचन व्यय रजिस्टर का जिस अवधि तक का निरीक्षण कर लिया गया है उस अवधि तक के छाया प्रेक्षण रजिस्टर को अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि या जनता के किसी सदस्य को दिखाया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा रख-रखाव रजिस्टर में रिपोर्ट किया गया व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित राशि से कम है तो उसे उसके नोटिस में लाया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित निर्वाचन व्यय रजिस्टर में रिपोर्ट किया गया व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित व्यय, से कम है तो इसे निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षण रजिस्टर में भी इसकी नोटिंग की जाएगी तथा अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रकार की विसंगति के लिए रिटर्निंग अधिकारी, उसी दिन लिखित में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को एक नोटिस देगा। आम जनता के सूचनार्थ रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर नोटिस की प्रति प्रदर्शित की जाएगी। आम जनता का कोई भी सदस्य 1 रुपया प्रति पृष्ठ के शुल्क का भुगतान कर नोटिस की प्राप्ति कर सकता है। नोटिस तथा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट से प्राप्त जवाब की प्रति साक्ष्य के फोल्डर में रखी जाएगी तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी उसका उल्लेख किया जाएगा। प्राप्त जवाबों को भी रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा तथा 1/- रुपये प्रति पृष्ठ का भुगतान कर इन्हें आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रकार से जारी किए गए नोटिसों तथा जवाबों को, यदि कोई हैं तो, परिणामों की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के लेखों की सत्यता के बारे में राय बनाने के लिए व्यय प्रेक्षक सहित डी ई एम सी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी को चिन्हित की जाएगी। आयोग के नवीनतम अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141-2751417

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141-2751417

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141-2751417

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141-2751417

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141-2751417

छाया प्रेक्षण रजिस्टर